"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 11, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक ई-01- 2/2011/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से स्थानांतरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तालिका के कालम-2 में उल्लिखित गठन हेतु प्रस्तावित नवीन जिलों के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	जिले का नाम	अधिकारी का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम जहां पर ओ.एस.डी. सम्बद्ध रहेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुंगेली	श्री टी.सी. महावर, भा.प्र.से. (2000) सचिव, लोक आयोग, रायपुर.	संभागीय आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कोंडागांव	श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002) सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर.	संभागीय आयुक्त, कार्यालय, जगदलपुर.
3.	गरियाबंद	श्री दिलीप वासनीकर, भा.प्र.से. (2002) संयुक्त सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नियंत्रक, नापतौल एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग.	कलेक्टर कार्यालय, रायपुर.
4.	बालौद	श्री अमृत खलखो, भा.प्र.से. (2002) प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर.	संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर
5.	बलौदा बाजार	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	कलेक्टर कार्यालय, रायपुर.
6.	बेमेतरा	सुश्री श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (2006) अपर कलेक्टर, रायपुर.	कलेक्टर कार्यालय, दुर्ग.
7.	बलरामपुर	श्री सी.आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर.	कलेक्टर कार्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर.
8.	सुकमा	श्री एलेक्स व्ही.एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी.	कलेक्टर कार्यालय, दंतेवाड़ा.
9.	सूरजपुर	श्री सोलई भारती दासन, भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर.	कलेक्टर कार्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर.

उपरोक्त अधिकारी तालिका के कॉलम 04 में उल्लिखित कार्यालय में सम्बद्ध रहकर नवीन जिले के विधिवत् प्रारंभ होने तक उस जिले से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे स्टाफ की व्यवस्था, फर्नीचर, वाहनों की व्यवस्था एवं अभिलेखों के हस्तांतरण आदि कार्य अविभाजित जिले के कलेक्टर से समन्वय कर संपादित करायेंगे ताकि नवगठित जिले प्रारम्भ होने पर वहां कार्य संचालन में कोई कठिनाई ना आये. नवीन जिला प्रारंभ होने पर ये अधिकारी वहां के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2011

क्रमांक 648/206/अव./2011/1-8/स्था.—श्री विनोद वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 15-4-2011 से 29-4-2011 तक 15 दिवस का द्वितीय पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2011

क्रमांक 1001/406/अव./2011/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-5-2011 से 28-5-2011 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 एवं 29-5-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2011

क्रमांक 1003/412/अव./2011/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 23-5-2011 से 31-5-2011 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21 एवं 22-5-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेस्स आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2011

क्रमांक 1005/413/अव./2011/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 18-5-2011 से 31-5-2011 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17-5-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेक आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती बेक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक 1007/482/अव./2011/1-8/स्था.—श्री के. डी. कुंजाम (राप्रसे), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 7-6-2011 से 14-6-2011 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15-6-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुंजाम आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक 1009/425/अव./2011/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 23-5-2011 से 31-5-2011 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21 एवं 22-5-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक 7986/21-ब/छ.ग./2011.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7523/2477/21-ब/छ.ग./2011 दिनांक 19-10-2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश के पंक्ति 5 में "अतिरिक्त लोक अभियोजक" के स्थान पर "अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 37-14/तीन (एक)-1/2011/1664, दिनांक 28-10-2011 में उल्लेखित स्थानों पर त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए उप निर्वाचन वर्ष 2011 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 27-11-2011 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखानें निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्र.क्र. 04 अ/82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	पवनी प. ह. नं. 3	2484	0.032	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर सोनिया जलाशय मुख्य नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक 03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	टिकारी प. ह. नं. 36	48.25	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	चौहा जलाशय निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	चीतापाली प. ह. नं. 31	0.481	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कटाईपाली (सी) चीतापाली, मार्ग पर सखिया नाला सेतु निर्माण में आंने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	बगुडेगा प. ह. नं. 01	35.995	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	भरारी जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र एवं स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खांने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	भेड़ीमुड़ा प. ह. नं. 01	26.805	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	भरारी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	देवरी प. ह. नं. 4	33.781	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	डूमरपाली प. ह. नं. 3	23.652	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 नवम्बर, 2011

रा. प्र. क्र. 30/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	कामनबोड़ प. ह. नं. 55	0.194	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिडोरा से कोयलारी सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 नवम्बर, 2011

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	लिम्हईपुर प. ह. नं. 16	0.498	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	देवसरा जलाशय योजना नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 नवम्बर, 2011

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	पोलमी प. ह. नं. 13	0.546	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	पुटपुटा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 नवम्बर, 2011

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	महीडबरा प. ह. नं. 02	0.530	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	महीडबरा जलाशय योजना नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	गौरमुड़ा प.ह.नं. 10	1.003	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	एनीकट निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बाराद्वार बस्ती प.ह.नं. 18	0.165	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	तलवा सब माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 17	0.016	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	दर्री माइनर नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बोईरडीह प.ह.नं. 10	0.425	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	एनीकट निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-नेतनागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
94/4	0.012
99/3	0.024
318/2, 319/3	0.069
95	0.101
96/2	0.091
96/3	0.044
97	0.162
98	0.040
101	0.016
405, 406	0.004
99/1	0.138
318, 319/4	0.073
100/2	0.097
403	0.049
379/6	0.061
379/5	0.040
301/2	0.343
302	0.080
304/3	0.008
303	0.105
304/1, 305/1	0.016
316	0.032
318/1, 319/2	0.085
330/6	0.012
319/1	0.085
331/2घ	0.016
332/2	0.087
331/2ग	0.007
330/1, 331/1क	0.020
331/2	0.024
330/11	0.028
330/13	0.024
331/3ग	0.041
331/2ङ	0.024
362	0.121
363/3	0.158
363/4	0.440
363/1	0.523
376	0.020
401	0.137
317/1	0.016
377	0.045
378	0.073
379/2	0.044
402	0.053
385, 386/1	0.020
333/1	0.020
332/1	0.008
330/8	0.061
330/12	0.016
331/2ङ	0.032
331/5	0.081
331/2छ	0.057
331/8	0.049
331/3क	0.032
328	0.057
योग 56	4.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-पुसौर
 (ग) नगर/ग्राम-पुसौर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1215	0.121
840	0.133
1213	0.145
842/2	0.016
842/1	0.081
1206/2	0.004
1207	0.109
842/6	0.061
1211/2	0.036
843	0.008
1205/1	0.041
1201/1	0.153
1180	0.188
1196/1	0.077
1192/5	0.089
1190/1	0.004
1186/5	0.089
1188	0.032
1256	0.282
1851	0.008
1864	0.081
1168/1	0.049
1166	0.073
1170/1	0.137
1171	0.004
1167	0.008
1163	0.165
1257	0.057
115/1	0.093
155/3	0.056
1159	0.137
1622	0.197
1265/2	0.065
1268	0.089
1263	0.166
1264	0.077
1262/2	0.028
1265/1	0.041
1259/2	0.077
126	0.012
1269	0.020
1621	0.013
1662	0.214
1613/1	0.575
1458/1	0.173
593	0.306
594	0.129
1459/1	0.266
1459/2	0.041
1616	0.065
16/1	0.049
16/5	0.057
166/1	0.020
1819/2	0.016
1660	0.145
1821	0.105
1820/1	0.121
1819/5	0.085
1836	0.053
1837	0.008
1869/4	0.149
1819/8	0.032
1840	0.061
1878	0.061
1877	0.049
1876	0.028
1917	0.012
1954	0.020
1879	0.024
1884	0.093
1886	0.117

(1)	(2)	(1)	(2)
1888	0.020	1196/3	0.185
1887/4	0.145	1889/1	0.008
1883/2	0.109	1162/1	0.154
1909	0.073	1164	0.004
1910	0.189	1165	0.154
1915	0.040	1162/1	0.032
1951	0.105	1156	0.062
1950	0.108	1266	0.101
1925/2	0.028	1922	0.008
1924/2	0.125	1926	0.049
1952	0.161	643/1	0.028
1953	0.073	1201/2	0.109
1924/1	0.032	1916	0.065
1923	0.004	1928/2	0.020
1948	0.016	1930	0.041
1949	0.016	1931	0.008
1947	0.012	1457	0.004
1933	0.053	1487/1	0.093
1934	0.004	1487/3	0.041
643/2	0.028	838/1	0.085
1960	0.004	1875/1	0.053
657	0.012	1483/2	0.157
661/2	0.004	1925/1	0.032
640/1	0.101	1819/10	0.065
641/1	0.032	1832/1	0.105
667	0.020	1863/1	0.073
621	0.020	1863/2	0.065
622	0.057	1863/3	0.065
617	0.012	630/2	0.182
654	0.057	1186/3	0.057
655	0.004	1186/4क	0.101
658/1	0.049	1186/4ख	0.258
658/2	0.032	1186/7	0.226
660	0.081	1186/6	0.012
1899/3	0.045	1607, 1967	0.041
1179	0.168	1211/2	0.024
623/2	0.089	1205/3	0.133
625/1	0.077	1202/4	0.169
631	0.077	1202/8	0.085
592	0.004	1624/2	0.004
1819/6	0.020	1208/4	0.137
1819/9	0.008	1196/2	0.185
1819/11	0.036	1155/2	0.041
1819/3	0.081	1155/4	0.012
1835/2	0.008	1661/2	0.032
1832/2	0.004	625/2, 624/2	0.105

(1)	(2)
640/3	0.045
640/2	0.170
1258/1	0.150
1258/2	0.077
1901/3	0.190
623/1	0.162
1929	0.073
1208/3	0.097
1144	0.020
639	0.073
योग 173	13.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख
[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 217/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तरकेला, प. ह. नं. 10, तहसील-रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तरकेला, प. ह. नं. 10, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-तरकेला प.ह.नं. 10	1415/1	0.069	0.17
			1416/1	0.020	0.05
			1394/1	0.040	0.10
			1415/2	0.064	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1431	0.016	0.04
			1396/1441	0.036	0.09
			1366/3	0.024	0.06
			1367/1	0.081	0.20
			1389/3d	0.081	0.20
			1395	0.032	0.08
			1393/1	0.049	0.12
			1388	0.089	0.22
			1389/1d	0.121	0.30
			1412/1	0.024	0.06
			1432/1	0.012	0.03
			1414/1	0.081	0.20
			1435	0.024	0.06
			1436/2	0.020	0.05
			1396/1	0.024	0.06
			1433/2	0.020	0.05
			1391/2k	0.146	0.36
			1365/1	0.049	0.12
			1376/1	0.061	0.15
			1378/1	0.049	0.12
			1413/1	0.040	0.10
			1390/6	0.049	0.12
			1375	0.091	0.22
			1342/1	0.170	0.42
			योग	**1.582**	**3.91**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 218/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बनसिया प. ह. नं. 10, तहसील-रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बनसिया, प. ह. नं. 10, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-बनसिया	1164	0.049	0.12
		प.ह.नं. 10	1165/1	0.040	0.10
			1172	0.101	0.25
			1171	0.024	0.06
			1175	0.081	0.20
			1163/1266/1	0.024	0.06
			1180/2	0.040	0.10
			1173	0.073	0.18
			834/1क	0.478	1.18
			1163/1	0.263	0.65
			1174	0.283	0.70
			1177	0.324	0.80
			1179	0.024	0.06
			1257	0.631	1.56
			योग	**2.435**	**6.02**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 219/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम ननसिया प. ह. नं. 11, तहसील-रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम ननसिया, प. ह. नं. 11, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-ननसिया	8	0.162	0.40
		प.ह.नं. 11	109	0.012	0.03
			10/1	0.040	0.10
			132/1	0.049	0.12
			11/4	0.081	0.20
			11/6	0.012	0.03
			69	0.397	0.98
			89	0.093	0.23
			93	0.142	0.35
			71	0.061	0.15
			72	0.016	0.04
			92	0.040	0.10
			194	0.324	0.80
			86/1	0.089	0.22
			201/1	0.133	0.33
			87/1	0.061	0.15
			87/2	0.060	0.15
			91/1	0.073	0.18
			101	0.154	0.38
			106	0.049	0.12
			107/1	0.162	0.40
			108/1	0.081	0.20
			185	0.194	0.48
			198	0.049	0.12
			200/2	0.186	0.46
			201/2	0.134	0.33
			202	0.020	0.05
			205	0.020	0.05
			130	0.028	0.07
			योग	**2.922**	**7.22**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना गजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 220/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम छुहीपाली, प. ह. नं. 11, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम छुहीपाली, प. ह. नं. 11, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-छुहीपाली प.ह.नं. 11	1/3	0.036	0.09
			1/29	0.057	0.14
			1/6	0.065	0.16
			1/5	0.036	0.09
			1/15	0.032	0.08
			1/17	0.049	0.12
			1/21	0.045	0.11
			1/23	0.045	0.11
			1/25	0.040	0.10
			11/1	0.113	0.28
			12/1	0.170	0.42
			13	0.162	0.40
			19	0.061	0.15
			1/22	0.032	0.08
			18/1	0.202	0.50
			योग	**1.145**	**2.83**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 221/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम अमलीभौना, प. ह. नं. 11, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम अमलीभौना, प. ह. नं. 11, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-अमलीभौना	100/1	0.129	0.32
		प.ह.नं. 11	100/323	0.020	0.05
			121/325/1	0.486	1.20
			102/1	0.040	0.10
			134	0.061	0.15
			136	0.045	0.11
			103/1	0.065	0.16
			125/8	0.053	0.13
			119	0.040	0.10
			125/7	0.056	0.14
			126	0.101	0.25
			133	0.133	0.33
			112/1	0.049	0.12
			120	0.097	0.24
			135	0.090	0.22
			योग	**1.465**	**3.62**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 222/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कोसमनारा, प. ह. नं. 11, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कोसमनारा, प. ह. नं. 11, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-कोसमनारा प.ह.नं. 11	14/1	0.061	0.15
			46/1	0.324	0.80
			71	0.494	1.22
			48/13	0.162	0.40
			67/3	0.049	0.12
			68/1	0.202	0.50
			72/1	0.186	0.46
			1	0.016	0.04
			20/1	0.627	1.55
			योग	**2.121**	**5.24**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 223/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कलमी, प. ह. नं. 14, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक

मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कलमी, प. ह. नं. 14, तहसील-रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-कलमी प.ह.नं. 14	80	0.19	0.47
			108/1	0.405	1.00
			113/1	0.073	0.18
			114	0.040	0.10
			120/1	0.485	1.20
			115	0.121	0.30
			116	0.057	0.14
			117	0.020	0.05
			119/1	0.024	0.06
			121/1	0.073	0.18
			122	0.113	0.28
			123/3	0.121	0.30
			154/2	0.202	0.50
			376/2	0.032	0.08
			381/8	0.081	0.20
			188/1	0.170	0.42
			190/1	0.008	0.02
			190/2	0.081	0.20
			190/3	0.101	0.25
			191	0.016	0.04
			377	0.162	0.40
			381/7	0.324	0.80
			381/11	0.129	0.32
			384/1	0.057	0.14
			384/2	0.053	0.13
			384/4	0.052	0.13
			82	0.033	0.08
			89	0.016	0.04
			124	0.253	0.63
			192	0.016	0.04
			194	0.016	0.04
			294	0.057	0.14
			394	0.040	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			343	0.016	0.04
			योग	**3.637**	**8.99**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 224/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम भगवानपुर, प. ह. नं. 14, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम भगवानपुर, प. ह. नं. 14, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-भगवानपुर प.ह.नं. 14	7/1	0.040	0.10
			8/1	0.454	1.12
			21	0.267	0.66
			61/1	0.032	0.08
			10/1	0.283	0.70
			11/1	0.049	0.12
			17/2	0.121	0.30
			18/1	0.016	0.04
			18/2	0.053	0.13
			18/3	0.081	0.20
			61/3	0.040	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			61/4	0.061	0.15
			64/1	0.105	0.26
			64/2	0.150	0.37
			63/4	0.162	0.40
			65/1	0.085	0.21
			65/2	0.089	0.22
			66	0.032	0.08
			20	0.081	0.20
			100/3	0.024	0.06
			14	0.081	0.20
			योग	**2.306**	**5.70**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम-5 (1) देखिए]

क्रमांक 225/बी 121/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम किसनापुर, प. ह. नं. 14, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम क़िसनापुर, प. ह. नं. 14, तहसील- रायगढ़, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-किसनापुर प.ह.नं. 14	68	0.105	0.26
			64/1	0.186	0.46

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	ग्राम-गेरवानी	61/1	0.340	0.84
		प.ह.नं. 15	14/3, 7, 8, 9, 11	0.120	0.30
			9/1, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32	0.160	0.40
			9/2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	0.320	0.79
			14/10	0.240	0.59
			4/1	0.176	0.43
			4/2	0.112	0.28
			6	0.208	0.51
			7	0.004	0.01
			4/3	0.160	0.40
			5	0.008	0.02
			21/6	0.400	0.99
			21/3	0.120	0.30
			22/1	0.060	0.15
			44/3, 4, 5	0.300	0.74
			44/9, 10, 11	0.300	0.74
			42	0.400	0.99
			40	0.384	0.95
			14/5	0.128	0.32
			24/2	0.024	0.06
			15/1	0.245	0.61
			39	0.150	0.37
			41	0.120	0.30
			योग	**4.479**	**11.07**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

जे. आर. चौरसिया,
सक्षम प्राधिकारी.